ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.3, July-Sept., 2025/38

"भारत में लैंगिक असमानता का विश्लेषण: चुनौतियाँ, प्रगति और संभावना"

अंशु पांडेय एवं शालिनी कुमारी

https://doi.org/ 10.61410/had.v20i3.250

सारांश :–

भारत में लैंगिक असमानता एक दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती रही है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिल पाए। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् और विशेषकर संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण, शिक्षा के प्रसार तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर असमानता विभिन्न रूपों में विद्यमान है। वेतन असमानता, बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, महिला स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ और रोजगार में असमान भागीदारी जैसे मुद्दे आज भी गंभीर हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता के विरुद्ध शिक्षा, जागरूकता, विधिक सशक्तिकरण और तकनीकी सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, महिला उद्यमिता, नेतृत्व और डिजिटल मंचों पर बढ़ती उपस्थिति भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करती है। अतः भारत में लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, नीतिगत प्रतिबद्धता तथा सतत प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: लैंगिक असमानता सामाजिक,न्याय,शिक्षा, संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सहभागिता

परिचय: भारत में लैंगिक असमानता अपने सामाजिक– सांस्कृतिक और आर्थिक ताने–बाने में गहराई से निहित है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। सभी नागरिकों को समान अधिकारों के गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, महिलाओं के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा हैं। समाजशास्त्रीयों के अनुसार यह असमानता पितृसत्तात्मक व्यवस्था की उपज है, जहां स्त्रियों को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। अमत्यसेन का मत है कि विकास के लिए समान अवसर अनिवार्य है, क्योंकि लैंगिक असमानता विकास को धीमा करती है।(1)

जबकि भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से कानूनी सुधारो और सरकारी पहलू के माध्यम से प्रगति असमान बनी हुई है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों जैसी नीतियों के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन समग्र परिदृश्य चुनौती पूर्ण बना हुआ है। सामाजिक अपेक्षाएं और सांस्कृतिक मानदण्ड महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ डालते रहते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। भारत में लैंगिक समानता की

- **एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, डीजी.पी.जी.कॉलेज, कानपुर**
- **रिसर्च स्कोलर, राजनीति विज्ञान विभाग, डीजी.पी.जी.कॉलेज, कानपुर**

दिशा में यात्रा के लिए न केवल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है।

लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक संदर्भ और विकास:–

भारत में लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही पुराना है,जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है। प्राचीन ग्रंथो और परंपराओं में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका को अक्सर देखभाल करने वाली बेटियों, पत्नियों और माता के रूप में सीमित रही। बाल विवाह, जहां कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और दहेज ,जहां दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार को पर्याप्त उपहार प्रदान करने होते थे, जैसी प्रथाओं ने महिलाओं को अपने अधिकारों वाले व्यक्तियों के बजाय आश्रितों के रूप में समीकरण को प्रतिबंबित किया। बौद्ध और जैन काल में महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला, जिससे उन्हें धार्मिक मान्यताएं मिली, परंतु उनकी स्थिति पुरुष भिक्षुओं की तुलना में अधीनस्थ ही रही।(2)

समाज में पितृसत्तात्मक उत्पीड़न की सबसे चरम अभिव्यक्तियों में से एक सती प्रथा थी, जहां विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी और उन्हें अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत के पूरे इतिहास में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग– चयनात्मक गर्भपात भी प्रचलित रहे हैं, जो पुरुष बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक प्राथमिकता को दर्शाते हैं। महिलाओं को व्यवस्थित रूप से शिक्षा से वंचित किया जाता था। अक्सर कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और परिवार और समुदाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता था। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के आगमन ने महिलाओं की भूमिकाओं की धारणा में कुछ बदलाव लाए। औपनिवेशिक काल में राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे सुधारको के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा की नींव पड़ी।(3) 1929 के बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जैसे कानून के माध्यम से विवाह के लिए न्यूनतम आयु भी बढ़ाई गई थी।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विधि परिवर्तन किये गए। 1950 में अपने गए भारतीय संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया, जिसमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसरों का वादा किया गया। स्वतंत्र भारत के समाधान (1950) में समानता, स्वतंत्रता और अवसरों के अधिकार सुनिश्चित किए तथा 73वें 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया।(4) महिलाओं को मतदान करने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया गया था जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में एक औपचारिक बदलाव को चिन्हित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे बाद के कानून ने बाल विवाह और दहेज जैसी प्रतिगामी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। इन सुधारो के बावजूद पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और गहरी जड़ वाले सांस्कृतिक मानदंडों की दृढ़ता का मतलब था कि लैंगिक असमानता विभिन्न रूपों में पनपती रही। सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई, और आज भी भारत में लैंगिक समानता के लिए संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

समकालीन भारत में महिलाओं के सामने प्रमुख चुनौतियां:–

कानून और नीतिगत पहलू के मामले में हुई प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां पितृसत्तात्मक संरचनाओं में गहराई से निहित है और आर्थिक , राजनीतिक और सामाजिक कारको द्वारा और अधिक जटिल हैं । लैंगिक असमानता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जिसमें सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दे ,लिंग–आधारित हिंसा, आर्थिक असमानता, सीमित राजनीतिक भागीदारी और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले पारस्परिक भेदभाव है।

लिंग आधारित हिंसा

लिंग आधारित हिंसा आज भी भारत में महिलाओं के सामने सबसे गंभीर और व्यापक चुनौतियों में से एक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) और यौन उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ कानूनी प्रावधानों जैसे कानून का कार्यान्वन के बावजूद, देश में महिलाओं के खिलाफ उच्च स्तर की हिंसा जारी है।(5) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन. सी. आर. बी) घरेलू दुर्व्यवहार, यौन हमले, तेजाब हमले और महिलाओं की तस्करी के बारे में खतरनाक आंकड़े देता है। घरेलू हिंसा विशेष रूप से प्रचलित है, जिसमें कई महिलाएं साथी या परिवार के सदस्यों के हाथों शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करती हैं। घरेलू दुर्व्यवहार के अलावा, ऑनर किलिंग एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से रूढ़िवादी, ग्रामीण समुदायों में जहां महिलाओं की स्वायत्तता गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। बलात्कार और यौन हिंसा में भी तेज वृद्धि देखी गई है ,इस तरह के मामले के बाद सख्त कानून की शुरुआत के बावजूद, महिलाओं के अक्सर सामाजिक कलंक, धीमी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण अपराधों की रिपोर्ट करने और न्याय पाने में महत्वपूर्ण बाधाओ का सामना करना पड़ता है। लिंग आधारित हिंसा की व्यापक प्रकृति पित्तसत्तात्मक के व्यापक सामाजिक मुद्दे को दर्शाती है, जहां महिलाओं के निकायों और स्वायत्तता को नियमित रूप से नियंत्रित किया जाता है।

आर्थिक विषमता

आर्थिक असमानता एक और बड़ी चुनौती है जिसका भारत में महिलाओं को सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से कार्यबल की भागीदारी और मजदूरी असमानता के मामले में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन जमीन पर स्वामित्व के अधिकार से प्राय वंचित रहती हैं।(6) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में हाल ही के वर्षों में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट चिंताजनक है, क्योंकि यह इंगित करती है कि कम महिलाएं औपचारिक रोजगार में प्रवेश कर रही हैं, जिसका उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और समग्र सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस गिरावट के प्राथमिक कारकों में से एक लैंगिक अपेक्षा है कि महिलाओं को करियर पर घरेलू जिम्मेदारीयों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिकांश भारतीय घरों में, महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के कामों का प्रबंध करें, बच्चे, बुजुर्गों की देखभाल करें, और अन्य अवैतनिक श्रम करें, जिससे औपचारिक रोजगार के लिए बहुत कम जगह बची है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक असमानता से संबंधित अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास अक्सर भूमि के स्वामित्व, ऋण और औपचारिक रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कमी होती है, जिससे वे अनौपचारिक श्रम पर निर्भर हो जाती है, वित्तीय स्वतंत्रता की कमी न केवल आर्थिक असमानता को कायम रखती है, बल्कि महिलाओं के लिए हिंसा या शोषण की स्थिति से बचना भी मुश्किल बना देती है।

राजनीतिक भागीदारी

भारत ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण जैसी नीतियों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में प्रगति की है ,लेकिन सरकार के उच्च स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व खतरनाक रूप से कम रहा है। राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व गहरी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का परिणाम है जो महिलाओं की नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। जो महिलाएं राजनीति में प्रवेश करने का प्रबंध करती हैं, उन्हें अक्सर लैंगिक आलोचना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज और शहरी निकायों में महिलाओं की सहभागिता बढी है, किंतु उच्च स्तर की राजनीति में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है। संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है।(7) प्रभावशाली पदों पर महिला नेताओं की अनुपस्थिति एक ऐसे राजनीतिक वातावरण को कायम रखती है जहां महिलाओं की चिताओ,जैसे प्रजनन अधिकार, लिंग आधारित हिंसा, आर्थिक असमानता को उस तात्कालिकता के साथ संबोधित नहीं किया जाता है जिसकी वे हकदार हैं।

अंतर विभाजन और अपेक्षित महिलाएं

समकालीन भारत में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रो में मौजूद विभाजन और उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। ग्रामीण और शहरी महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट अंतर है– जहां ग्रामीण महिलाएं अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बुनियादी सुविधा से वंचित रही है, वहीं शहरी महिलाओं से आधुनिक जीवन शैली अपनाने और पेशेवर सफलता की अपेक्षा की जाती है।(8) जातिगत और वर्गगत भेदभाव भी महिलाओं की प्रगति में बाधक बनते हैं, जिससे निम्नवर्गीय और दलित महिलाओं को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।(9) समाज महिलाओं से परंपरागत भूमिकाओं जैसे–' आदर्श बहू', ' संस्कारवान मां', या 'समर्पित पत्नी' की अपेक्षा करता है, जबकि वहीं महिला यदि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की मांग करें, तो उसे विरोध और अपेक्षा झेलनी पड़ती है।

प्रगति और सरकारी पहल

भारत में विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से लैंगिक असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जननी सुरक्षा योजना जैसी नीतियों का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक– आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। मातृत्व लाभ(संशोधन) अधिनियम 2017 में औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़कर 24

सप्ताह कर दिया, जिससे महिलाओं को नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अधिक समय मिल गया।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) जैसे कानूनी ढांचे की स्थापना की गई, जबकि नीतियां कागज पर मौजूद है उनका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, गहराई से निहित सामाजिक मानदंड महिलाओं को इन पहलुओं से लाभान्वित होने से रोकते हैं। शिक्षा एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है, लेकिन लड़कियों के बीच दर उच्च बनी हुई है, विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में, आर्थिक बाधाओ और विवाह के संबंध में सामाजिक अपेक्षा के कारण है।

सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक दृष्टिकोण

भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए न केवल कानूनी और नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की आवश्यकता है। पितृसत्तात्मक मानसिकता जो महिलाओं को पुरुष के अधीनस्थ के रूप में देखती है। वह समझ में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करते हुए सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देना जारी रखती है। शिक्षा इन रूढ़ियों को चुनौती देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के मीडिया प्रतिनिधित्व को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे अक्सर लैंगिक भूमिकाओं को बनाए रखते हैं, जो महिलाओं की आकांक्षाओं और क्षमता को सीमित करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आए हैं जैसे – महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व लेकिन यह बदलाव अभी भी असमान और आंशिक है।(10) गैर– सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण है।

संभावनाएं

शिक्षा और जागरूकता

एक व्यापक शिक्षा प्रणाली जो कम उम्र में ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। पित्तसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और महिलाओं के अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने की लिए स्कूलों और कार्यस्थलों में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण शुरू किया जाना चाहिए।

आर्थिक सशक्तिकरण

लैंगिक अंतर को समाप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ केवल आय अर्जुन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वित्तीय निर्णय में भागीदारी, संपत्ति पर स्वामित्व बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचे और उद्यमिता में समान अक्सर भी शामिल है।(11)

कानूनी सुरक्षा का सुधारीकरण

मौजूदा कानूनी ढांचे को महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए मजबूत परिवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव के लिए खिलाफ कानून को

सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और लिंग–संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

नीतिगत स्तर पर लिंग–विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक मंचों और नेतृत्व प्रशिक्षण तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

हालांकि भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। समकालीन भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो उनके हाशिए पर बने रहने को जारी रखती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक मानदंडों में बदलाव को जोड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही भारत वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने और अपनी महिलाओं की पूरी क्षमता को उजागर करने की उम्मीद कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सेन, अमर्त्य (2000). विकास के रूप में स्वतंत्रता।

2. शुक्ला, मीना (2008). बौद्ध धर्म और महिला: भारतीय प्रकाशन।

3. अग्रवाल, मधु (2013). भारत में महिला सुधार आंदोलन, जयपुर: शारदा प्रकाशन।

4. पांडेय, अशोक (2016). भारतीय संविधान और महिला अधिकार,दिल्ली: यूनिवर्सल प्रकाशन।

5. सिंह, उषा (2011) भारतीय समाज में नारी हिंसा, वाराणसी: भारतीय बुक डिपो।

6.त्रिपाठी, मीना(2012). ग्रामीण भारत में महिला और श्रम, लखनऊ: लोकभारती प्रकाशन।

7. गुप्ता, राधा (2015). भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।

8. शर्मा, कुसुम (2013). भारतीय नारी और आधुनिक चुनौतियां, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

9. सिंह, माया (2015). भारतीय महिला और सामाजिक संरचना. वाराणसी: भारतीय पुस्तक भंडार।

10. मिश्रा, नीलम (2016). भारतीय महिला संघर्ष और उपलब्धियां,जयपुर: राजस्थान प्रकाशन

11. चौधरी,कुमुद(2010). भारतीय समाज और नारी उत्थान, दिल्ली: ज्ञान गंगा प्रकाशन